न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 53/2022

यादराम यादव पुत्र श्री उमराव सिंह यादव, ग्राम शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

-- --

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 07.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 53/2022 पर दिनांक 08.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/359–60 दिनांक 09.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई/2022/77 दिनांक 04.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/131 दिनांक 18.01.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचनायें समय पर एवं सही भिजवई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/77 दिनांक 04.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/131 दिनांक 18.01.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचनायें समय पर एवं सही भिजवई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:10:54 IST
Reason: SelfAttested

(एल.एस. कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुंझुनूं